WitnessNo.........03...............for......prosecution...............Deposition taken the.16/08/2024..........dayof................Witness'sapparent age.....24....Years States on affirmation.......................my name is .फगनू सलाम....................
son/Wife/D.of..स्व० रत्तेसिंह सलाम.......occupation.......मजदूरी.........................
address.ग्राम -गौरगांव थाना केशकाल जिला- कोण्डागांव छ०ग०......................................
Time01.44pm

शपथपूर्वक कथन–

साक्षी को आज दिनांक 16/08/2024 को शपथ दिलाकर अभियेाजन अधिकारी श्री एम०आर० मण्डावी द्वारा मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

1. मै आरोपी हीरालाल यादव को नहीं जानता हूॅ,साक्षी को गिरफ्तारी पत्रक में लगे आरोपी हीरालाल यादव का फोटो दिखाकर पूछे जाने पर भी उसे पहचानने से इंकार किया । मृतक सगरूराम नरेटी व फुलसिंह नरेटी को जानता हूॅ सगरूराम मेरे साला थे,फुलसिंह नरेटी मेरे ससुर जी थे। प्रार्थी तुलसीराम नरेटी मेरे चाचा ससुर है।

2. आज से एक साल पहले मुझे फोन करके बताया कि आपके साला और ससुर की ट्रक एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया बताया था। फिर मै अपने घर से अपने ससुराल रांधा गया । रांधा से सी०एच०सी०केशकाल गया जहां मेरे साला सगरूराम के मृत्यु जांच में उपस्थित होने के लिए मुझे पुलिस वाले नोटिस दिये थे **नोटिस प्र०पी० 02 है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर** है एवं मृत्यु का असल कारण जानने हेतु साला सगरूराम के शव के पोस्ट मार्टम के लिए हम लोग से राय लेकर नक्शा पंचायतनामा तैयार किये थे **,नक्शा पंचायतनामा प्र०पी० 08 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है**। पोस्ट मार्टम पश्चात अपने ससुर फुलसिंह नरेटी के शव को कफन दफन हेतु सुपुर्दनामा में प्राप्त किया था **शव सुपुर्दनामा प्र०पी० 07 है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।** मुझे बाद में बताया गया कि आपके ससुर फुलसिंह अपने पुत्र सगरूराम के साथ चपई जाने के लिए निकला था और सिंगनपुर पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने के लिए मोड़ रहे थे तभी ट्रक के चपेट में आ गये और एक्सीडेंट हो गया । मै पुलिस को बयान नहीं दिया था।

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/CGKG030000982023/truecopy/order-3.pdf

www.ecourtsindia.com

इसी स्तर पर अभियोजन की ओर से उपस्थित ए०डी०पी०ओ० श्री एम०आर० मण्डावी ने साक्षी से सत्य बात जानने के लिये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत प्रश्न पूछने की अनुमति चाही, अनुमति प्रदान किया गया।

3. साक्षी को उसके पुलिस बयान "प्र०पी० 09 के अ से अ भाग दिनांक 13/012/2022..............कथन मेरे बताये अनुसार लिया है जो सत्य है "के भाग पढ़कर सुनाये जाने पर ऐसा बयान पुलिस को देना स्वीकार किया है।

प्रतिपरीक्षण वास्ते आरोपी हीरालाल यादव द्वारा श्री महेश बघेल अधिवक्ता :-

4. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्र०पी० 09 के अ से अ भाग पर दी गई बात सही है या गलत है मै नहीं बता सकता क्योंकि मुझे जिसने बताया वह सही बता रहा था या नहीं मै नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि बताने वाला भी मुझे नहीं बताया था कि दुर्घटना किसकी गलती से हुआ था। यह कहना सही है कि मुझे दुर्घटना ग्रस्त वाहन का क्रमांक भी नहीं बताये थे । यह कहना सही है कि मै घटना के समय दुर्घटना ग्रस्त करने वाला वाहन कैसे चल रही थी मै नहीं बता सकता क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था। यह कहना सही है कि पुलिस ने मेरे कथन में क्या लिखा था मुझे नहीं बताया था।

Time 02.05pm

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया गया
सही/-
(श्रीमती अंजली पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
केशकाल ,जिला कोण्डागांव

मेरे निर्देश पर टंकित
सही/-
(श्रीमती अंजली पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
केशकाल ,जिला कोण्डागांव

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/CGKG030000982023/truecopy/order-3.pdf

www.ecourtsindia.com